रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262071
CG-DL-E-28032025-262071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947
No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

सा.का.नि. 200(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 24 जनवरी, 2025 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 74 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमे ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले जिसमें उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां, आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमे उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई, 24 जनवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, में नियम 51क में,

(क) खंड (i) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा:

(ख) खंड (ii) में, "पंद्रह प्रतिशत तक होगी" शब्दों के स्थान पर, "पंद्रह प्रतिशत तक होगी; और" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ii) के पश्चात् तथा परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) उन सभी परिवहन और गैर परिवहन यानों के लिए ऐसे प्रमाणपत्र के विरुद्ध, पचास प्रतिशत तक, जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 1 (बीएस-I) मानक और पूर्ववर्ती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किए गए है और सभी मध्यम और भारी माल मोटर यान और सभी मध्यम और भारी यात्री मोटर यान, जो व्यापक उत्सर्जन मानक भारत चरण 2 (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार विनिर्मित किए गए हैं;"

[फा. सं. आरटी-16011/6/2024-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 721(अ), तारीख 21 नवंबर, 2024 द्वारा अंतिम संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

G.S.R. 200(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India , number G.S.R. 74 (E), dated the 24th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 24th January, 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 24th January, 2025;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication of the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 51A,--

(a) in clause (i), the word "and" shall be omitted;

(b) in clause (ii), for the words "transport vehicles:", the words "transport vehicles; and" shall be substituted;

(c) after clause (ii) and before the proviso, the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) up to fifty per cent, against such certificate for all transport and non-transport vehicles which are manufactured as per Mass Emission Standards Bharat Stage I (BS-I) norms and earlier Mass Emission Standard norms and all medium and heavy goods motor vehicles and all medium and heavy passenger motor vehicles which are manufactured as per Mass Emission Standards Bharat Stage II (BS-II) norms:".

[F. No. RT-16011/6/2024-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 721 (E), dated 21st November, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA